

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 06.09.2023

20 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 ग्राम नौशादर व 300 ग्राम यूरिया के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों पर अकुंश लगाये जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष एम्स मदन मोहन मिश्रा के नेतृत्व में, उ0नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी जगदीशपुर मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **रामदरश पुत्र स्व0 कैलाश निवासी जगदीशपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर** को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 ग्राम नौशादर व 300 ग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 110/2023 धारा- 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0** पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रामदरश पुत्र स्व0 कैलाश निवासी जगदीशपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 110/2023 धारा- 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 व 110/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट 272 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 380/2013 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 20 लीटर अवैध कच्ची शराब
2. 200 ग्राम नौशादर
3. 300 ग्राम यूरिया

गिरफ्तारी की टीम:-

1. उ0नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी जगदीशपुर थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का0 अजय प्रताप चौधरी थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. का0 सन्तोष कुमार सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
5. का0 प्रभाकर सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर